न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

08/2014 तारीख रजू:— 11.12.2014

पीठासीन अधिकारी:— दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

त अली पुत्र फतेह अली जाति मुसलमान काजीपाडा टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. मोहम्मद अबुल हसनी पुत्र रियाजुलहसन
2. हुसैन अहमद पुत्र अनवार अहमद
3. अखियार अहमद पुत्र अनवार अहमद
4. इरफान अहमद पुत्र अनवार अहमद
5. कंवरजहॉ पत्नि अनवार अहमद
6. इजहार अहमद पुत्र असरार अहमद
7. हुवेदा पुत्री असरार अहमद
8. फातमा पुत्री असरार अहमद
9. हलीमा पुत्री असरार अहमद
10. जाहिद अली पुत्र आबिद अली
11. साबिर अली पुत्र आबिद अली
12. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
13. मैनेजर एस.बी.बी.जे टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांक:—18.11.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 /1.00, 2588/0.04, 2601/0.34, 2602/0.27 कुल किता 4 कुल रकवा 1.65 है0 ग्राम भीम 11 बिश्वा की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 11 के नाम है। साबिक ख0न0 899/2, 900, 902, 903, 904 कुल किता 6 कुल रकवा 11 बीधा 11 बिस्वा पूर्व मे मि काजीपाडा रियाजुल पुत्र सफदर अली, अब्दुल मजीद पुत्र अलताफ अली, लियाकत अली पुत्र इनायत अली के नाम त 2013—16 की जमाबन्दी मे अंकित है। जिसमे से ख0न0 901 व 902 नामांतकरण सख्या 169 केन्ही अन्य के नाम हो गई। शेष खसरा नम्बर 899/2, 900, 903, 904 की शेष आराजी रकवा धा 9 बिस्वा मे आज्ञा पत्र संख्या 866 दिनांक 16.11.56 माफीदार रियाजुल हसन, अब्दुल जलील सफदर अली हिस्सा 1/2, अब्दुल मजीद पुत्र अल्ताफ अली, अफजालक पुत्र नजर हक, ब्दुल ान पुत्र अहमदअली हिस्सा 1/4, फतेह अली पुत्र जफरअली, बशीर अली पुत्र अब्दुल हक सा 1/4 के नाम इन्द्राज किया गया। जिसका नोट राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 3 मे अंकित है। जिसका अमल खातेदार के नाम प्रविष्टी सम्वत 2014 की खसरा गिरदावरी मे कत है इसलिये उक्त आराजीयात मे वादी के पिता 1/8 हिस्से के खातेदार थे। उनके फौत होने बाद वादी 1/8 हिस्से का खातेदार है। ख0न0 899/2, 904 के हाल ख0न0 2587, 2588, 01, 2602 के 1/8 हिस्से पर वादी बजमाने बुजुर्गान से काबिज एवं दखील है। यह कम 60 सौ ल से आज के समय तक जारी है। वादी उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन तथा लॉग टर्म शन क आधार पर खातेदारी अपने नाम कराने का हकदार है।

बॉका दिनांक 8.12.2014 का है कि वादी अपनी आराजी मे खडी फसल की देखभाल कर ा था कि प्रतिवादीगण आये ओर कहने लगे कि तुम्हारा इस आराजी से कोई संबध नही है, इसे

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

समर वादी ने उन्हे समझाया कि उक्त आराजी पर मेरे पिताजी के समय से कब्जा काश्त है र्मी को पता है। गिरदावरी सम्वत 2013 एवं 2014 मे नोट लगा हुआ है। बाद मे रिकार्ड मे कर्मचारियो ने नाम हटा दिया गया है। इस पर वादी दिनांक 8.12.2014 को तहसीलदार वादीगण से मिला तथा खातेदारी कराने को कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया और कर कब्जा करने और रहन रखने की धमकी दी, वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो, ी रहन व्यय कर दी तो अपूर्तनीय क्षति होगी। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ

अतः दावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर खा0न0 2587, 2588, 2601, 2602 कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है0 मे वादी को हिस्सा ा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द ावे कि वादी के कब्जेकाश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, तथा वादी को कर कब्जा नहीं करे, रहनव्यय नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने वादपत्र के समर्थन मे नकल ी सम्वत 2068–71 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी 16 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2021–24 5,नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2009–12 प्रदर्श–7 नकल गिरदावरी सम्वत 2009–12 प्रदर्श–8, एवं स्वंय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

वादी वकील ने अपनी बहस मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि आराजीयात मे वादी बजमाने बुजुर्गान हिस्सा 1/8 पर काबिज दखिल है। खसरा गिरदावरी 2009 मे वादी के पिता फतेहअली पुत्र जफर अली व बसीर अली पुत्र अब्दुल हक हिस्सा 1/4 का नोट अंकित है। उक्त नोट के अनुसार वादी को हिस्सा 1/8 का खातेदार कार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन । नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी 2013–16 प्रदर्श–3, नकल न्दी सम्वत 2017–20 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2021–24 प्रदर्श–5,नकल जमाबन्दी 2013–16 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2009–12 प्रदर्श–7 मे दर्ज आराजीयात की खातेदारी दीगण एवं उनके बजुर्गान के नाम दर्ज रिकार्ड है। साबिक खसरा नम्बरान से बने नये खसरा 2587/1.00, 2588/0.04, 2601/0.34, 2602/0.27 है0 की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 11 म दर्ज रिकार्ड है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है, जिससे साबित होता हो कि वादी हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार हो, मात्र नकल । गिरदावरी सम्वत 2009–12 प्रदर्श–8 मे लगे हुये आज्ञा पत्र संख्या 866 दिनांक 16.11.1956 ाधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। उक्त आज्ञा पत्र संख्या 866 दिनांक 16.11. का दस्तावेजी साक्ष्य भी वादी की और से प्रस्तुत नही किया गया है, तथा खसरा गिरदावरी मे हुये किसी प्रकार के नोट/अंकन के आधार पर खातेदारी अधिकार निर्धारण नही किये जा । है। पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य सबूत के अभाव मे वादी का दावा डिक्री किया जाना नही पाता हूँ।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा साक्ष्य/सबूत के व मे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

यामत अली पुत्र फतेह अली जाति मुसलमान काजीपाडा टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. मोहम्मद अबुल हसनी पुत्र रियाजुलहसन
2. हुसैन अहमद पुत्र अनवार अहमद
3. अखियार अहमद पुत्र अनवार अहमद
4. इरफान अहमद पुत्र अनवार अहमद
5. कंवरजहॉं पत्नि अनवार अहमद
6. इजहार अहमद पुत्र असरार अहमद
7. हुवेदा पुत्री असरार अहमद
8. फातमा पुत्री असरार अहमद
9. हलीमा पुत्री असरार अहमद
10. जाहिद अली पुत्र आबिद अली
11. साबिर अली पुत्र आबिद अली
12. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
13. मैनेजर एस.बी.बी.जे टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 108/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा साक्ष्य/सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है।

...............मुबलिंग...........................बाबत.......................खर्चा इस मुकदमे के मय ....अदा करे। शूद .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.11.2020 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					